



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-346

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 294307 दिनांक 27/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sumanlata Sharma S/o VIJAY SHARMA	श्री अमीत कुमार जैन पुत्र श्री ललीत कुमार जैन	80, 81	161.28 SQ. YARD, 138.88 SQ. YARD	Private	ROYAL ENCLAVE Sector/Block-A	Sub Division and Reconstitution	आवेदिका श्रीमती सुमनलता शर्मा पत्नी श्री विजय शर्मा द्वारा निजी खातेदारी की योजना रॉयल एनक्लेव के भूखण्ड संख्या ए-80 क्षेत्रफल 161.28 व.ग. व ए-81 क्षेत्रफल 138.88 व.ग. का पुर्नगठन पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या ए-80 क्षेत्रफल 161.28 व.ग. की लीजडीड क्रमांक 4136 दिनांक 27.08.2008 को श्री अमीत कुमार जैन पुत्र श्री ललीत कुमार जैन के पक्ष में जारी किया गया है। भूखण्ड संख्या ए-80 का श्री अमीत कुमार जैन पुत्र श्री ललीत





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

भूखण्ड संख्या  
ए-81 का श्रीमती  
स्वतना जैन पत्नी  
श्री अमित कुमार  
जैन द्वारा  
पंजीकृत विक्रय  
पत्र दिनांक  
22.04.2026 को  
श्रीमती सुमनलता  
शर्मा पत्नी श्री  
विजय शर्मा के  
पक्ष में बैचान  
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sumanlata Sharma S/o VIJAY SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |